संख्या– /XVIII(II)/2021–03(15)/2021

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 29 जुलाई, 2021

विषयः– जनपद चमोली की तहसील जोशीमठ अन्तर्गत नीति से बमलास तक 1.83 कि0मी0 सड़क के नवनिर्माण से प्रभावित होने वाली राज्य सरकार की सिविल भूमि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में सःशुल्क आवंटित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5785/छब्बीस–22(2020–2021) दिनांक 06 मई, 2021 तथा पत्र संख्या–6841/छब्बीस–22 (2020–2021) दिनांक 22 जून, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ अन्तर्गत ग्राम नीति की खतौनी खाता संख्या–44 के खसरा संख्या–62 रकबा 1.960 है0 भूमि मध्ये 0.714 है0 भूमि, जो कि नॉन0ज्येड0ए0 श्रेणी–9(3)ड़ कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं खतौनी खाता सं0–43 के खसरा संख्या–369 रकबा 44.460 है0 भूमि मध्ये 2.418 है0 भूमि, जो कि नॉन0ज्येड0ए0 श्रेणी–9(3)ग स्थाई पशुचर की भूमि व चराई की भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, अर्थात कुल 3.132 है0 सिविल भूमि नीति से बमलास तक 1.83 कि0मी0 सड़क के नवनिर्माण हेतु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में सःशुल्क आवंटित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली के तहसील जोशीमठ अन्तर्गत ग्राम नीति की खतौनी खाता संख्या–44 के खसरा संख्या–62 रकबा 1.960 है0 भूमि मध्ये 0.714 है0 भूमि, जो कि नॉन0ज्येड0ए0 श्रेणी–9(3)ड़ कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं खतौनी खाता सं0–43 के खसरा संख्या–369 रकबा 44.460 है0 भूमि मध्ये 2.418 है0 भूमि, जो कि नॉन0ज्येड0ए0 श्रेणी–9(3)ग स्थाई पशुचर की भूमि व चराई की भूमि के रूप में दर्ज अभिलेख है, अर्थात कुल 3.132 है0 सिविल भूमि शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1, दिनांक–12–09–1997 तथा शासनादेश संख्या–496/XVII(II)/2020–08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत भूमि का नजराना एवं मालगुजारी की धनराशि रू0 1,97,47,257/–(एक करोड़ सत्तानब्बे लाख सैंतालीस हजार दो सौ सत्तावन रूपये मात्र) एकमुश्त जमा किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय जनपद चमोली की तहसील जोशीमठ अन्तर्गत नीति से बमलास तक 1.83 कि0मी0 सड़क के नवनिर्माण

.....2

हेतु भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सर्वाधिकार सहित सःशुल्क आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

(2) प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–09–05–1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत प्रदान की गयी है।

(6) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त भूमि भार सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(7) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(8) भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के क्रम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(9) प्रस्तावित भूमि आवंटन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का गौचर के रूप में 5% बनाये रखना आवश्यक होगा।

(10) संस्था द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

(11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

....3

3– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

संख्या– 706/XVIII(II)/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– कमाण्डेन्ट, 08वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गौचर।
4– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।